रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2149] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 7, 2015/आश्विन 15, 1937
No. 2149] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2015/ASVINA 15, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2015

का.आ. 2711(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सं. का. आ. 39(अ) दिनांक 07.01.2014 को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात्—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, —

(i) क्रम सं. 1 के सामने कॉलम सं. 7 में जिला "रत्नागिरी" और तालुक "खेड़" से संबंधित प्रविष्टि "(25) धानेखुंट" के पश्चात्, प्रविष्टियां "(25ए) उधाले" और "(25बी) विरचीवाडी" अंत:स्थापित की जाएंगी।

(ii) क्रम सं. 3 के सामने कॉलम सं. 7 में जिला "रत्नागिरी" और तालुक "संगमेश्वर" से संबंधित प्रविष्टि "(22) कांटे" के पश्चात्, प्रविष्टि "(22ए) कोंड अंबेड" अंत:स्थापित की जाएगी।

(iii) क्रम सं. 3 के सामने कॉलम सं. 7 में जिला "रत्नागिरी" और तालुक "रत्नागिरी" से संबंधित प्रविष्टि "(11) खानू" के पश्चात्, प्रविष्टियां "(11ए) कोथरेवाडी", "(11बी) मराठेवाडी" और "(11सी) बिजारपेठ" अंत:स्थापित की जाएंगी।

(iv) क्रम सं. 4 के सामने कॉलम सं. 7 में जिला "रत्नागिरी" और तालुक "लांजा" से संबंधित प्रविष्टि "(13) वकेड" के पश्चात्, प्रविष्टि "(13ए) अंजनारी" अंत:स्थापित की जाएगी।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-37014/21/2013/-एनएचडीपी-IVए]

वी. कृष्णस्वामी, निदेशक

पाद टिप्पणी:- मुख्य अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 07.01.2014 में का. आ. 39(अ) दिनांक 07.01.2014 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2015

S.O. 2711(E).—In exercise of power conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notifications of the Govt. of India in the Ministry of Road Transport and Highways No. S.O. 39(E) dated 07.01.2014 published in Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-Section (ii), namely :—

In the Schedule to the said notification,—

(i) Against serial no.1 relating to District "Ratnagiri" and taluk "Khed" in the 7th column, after entry "(25) Ghanekhunt" the entries "(25A) Udhale" & "(25B) Virchiwadi" shall be inserted.

(ii) Against serial no.3 relating to District "Ratnagiri" and taluk "Sangmeshwar" in the 7th column, after entry "(22) Kante" the entries "(22A) Kond Ambed" shall be inserted.

(iii) Against serial no.3 relating to District "Ratnagiri" and taluk "Ratnagiri" in the 7th column, after entry "(11) Khanu" the entries "(11A) Kotharewadi" , "(11B) Marathewadi" & "(11C) Bijarpeth" shall be inserted.

(iv) Against serial no.4 relating to District "Ratnagiri" and taluk "Lanja" in the 7th column, after entry "(13) Waked" the entry "(13A) Anjanari" shall be inserted.

[F. No. RW/NH-37014/21/2013/NHDP-IVA]

V. KRISHNASWAMY, Director

Foot Note : The principal notification were published vide S.O. 39(E) dated 07.01.2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section3, Sub-section (ii), dated the 07.01.2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2015

का.आ. 2712(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सं. का.आ. 40(अ) दिनांक 07.01.2014 को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् —

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, —

(i) क्रम सं. 1 के सामने कॉलम सं. 7 में जिला "रायगढ़" और तालुक "मनगांव" से संबंधित प्रविष्टि "(16) मुंगावली" के पश्चात्, प्रविष्टि "(16ए) तालाशेट" अंत:स्थापित की जाएगी।

(ii) क्रम सं. 1 के सामने कॉलम सं. 7 में जिला "रायगढ़" और तालुक "मनगांव" से संबंधित प्रविष्टि "(23) लखपाले" के पश्चात्, प्रविष्टियां "(23ए) पाहेल" और "(23बी) वाडपाले" अंत:स्थापित की जाएंगी।

(iii) क्रम सं. 2 के सामने कॉलम सं. 7 में जिला "रायगढ़" और तालुक "पोलादपुर" से संबंधित प्रविष्टि "(19) कताली (दारेकरवाड़)" के पश्चात्, प्रविष्टियां "(19ए) शदवाली" और "(19बी) भोगांव खुर्द" अंत:स्थापित की जाएंगी।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-37014/21/2013/-एनएचडीपी-IVए]

वी. कृष्णस्वामी, निदेशक

पाद टिप्पणी:- मुख्य अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 07.01.2014 में का. आ. 40(अ) दिनांक 07.01.2014 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2015

S.O. 2712(E).—In exercise of power conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notifications of the Govt. of India in the Ministry of Road Transport and Highways No. S.O. 40(E) dated 07.01.2014 published in Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-Section (ii), namely :—

In the Schedule to the said notification,—

(i) Against serial no.1 relating to District "Raigad" and taluk "Mangaon" in the 7th column, after entry "(16) Mungavali" the entry "(16A) Talashet" shall be inserted.

(ii) Against serial no.1 relating to District "Raigad" and taluk "Mangaon" in the 7th column, after entry "(23) Lakhpale" the entries "(23A) Pahel" & "(23B) Vadpale" shall be inserted.

(iii) Against serial no.2 relating to District "Raigad" and taluk "Poladpur" in the 7th column, after entry "(19) Katali (Darekarwad)" the entries "(19A) Sadawali" & "(19B) Bhogaon Khurd" shall be inserted.

[F. No. RW/NH-37014/21/2013/NHDP-IVA]

V. KRISHNASWAMY, Director

Foot Note : The principal notification were published vide S.O. 40(E) dated 07.01.2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section3, Sub-section (ii), dated the 07.01.2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.